राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2009/ दिनांकः–

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषयः– मानसून वर्ष 2009 के मद्देनजर वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य में मानसून की वर्षा प्रारम्भ हो चुकी है और मौसम विभाग की घोषणाओं को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों खासतौर से रेगिस्तानी इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा होने के आसार है जो कि वैक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के विकराल रूप लेने में सहायक बन सकती है अतः अभी से इन बीमारियों के प्रसार को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर सभी मलेरिया रोधी गतिविधियां प्रारम्भ किया जाना समय की आवश्यकता एवं उच्च प्राथमिकता का विषय है। अतः विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां प्रारम्भ किया जाना तथा उनका सतत् क्रियान्वयन मय पूर्ण निरीक्षण एवं निगरानी के किया जाना अपेक्षित है।

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र/सा.स्वा.केन्द्र अपने क्षेत्र में बुखार/मलेरिया केसेज के बढ़ने पर तुरन्त CM&HO/Block CM&HO को दूरभाष पर अविलम्ब सूचित करेगें।
2. IDSP गतिविधियों को मजबूत करने हेतु चिकित्सा अधिकारीगण अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारियों के अप्राकृतिक रूप से बढ़ने की अवस्था में निदेशालय राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा संचालित IDSP Call Centre पर सूचनाओं का प्रेषण करेगें।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिमाह प्रा.स्वा.केन्द्र/सा.स्वा.केन्द्र से प्राप्त उक्त रोगों एवं उनके द्वारा यदि कोई मृत्यु हो तो उसका विशेष आंकलन करेगें और स्थिति के अनुसार बचाव एवं नियंत्रण के कार्यक्रम संचालित करेगें।
4. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी अपने स्तर से जिले में BCC/IEC गतिविधियों को संचार माध्यमों के द्वारा सघनता से संचालित करेगें।
5. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी अपने स्तर से वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु कार्यरत स्टॉफ में यदि कमी महसूस करे तो विभाग के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से संबंधित सामान्य कर्मचारियों की भी सेवा ले सकते है। किसी कर्मचारी के अवकाश पर प्रस्थान करने पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखेगें।
6. रेपिड रेस्पोन्स टीम (RRT) के सभी सदस्य जिला स्तर पर तत्काल अपनी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मय औषधियों एवं अन्य संसाधन सहित तैयार रहेगें।
7. ऐपिडेमियोलोजिकल सर्वेलैंस के साथ–साथ जोनल स्तर पर कार्यरत एन्टोमोलोजिस्ट के द्वारा सतत रूप से एन्टोमोलोजिकल पैरामीटर्स का अध्ययन कर जिला अधिकारी को हाई रिस्क क्षेत्र के बारे में सूचित करते रहे ताकि हाई रिस्क क्षेत्र में मलेरिया रोधी गतिविधियां सम्पादित की जा सके।
8. समस्त स्प्रे संबंधित उपकरण एवं फोगिंग मशीन भी जिला स्तर पर पूर्ण रूपेण तैयार रखी जावे, साथ ही जिला स्तर से गांव स्तर तक मलेरिया रोधी औषधियां, कीटनाशक एवं लार्वीसाईडस की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि यथा समय त्वरित कार्रवाई की जा सके।

निदेशक (जन .स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2008/585 दिनांकः–01/07/09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा., राज., जयपुर।
2. निदेशक, NVBDCP, 22–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को उनके अ.शा.पत्रांकः 5–82/2009/NVBDCP/I&E (Monsoon Advisory) दिनांक 9.6.09 के क्रम में।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

सर्वर रूम, मुख्यालय

निदेशक (जन .स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,